**उत्तर प्रदेश शासन,**
**चीनी उद्योग अनुभाग-1**
**संख्या-3/2025/1005/46-1-2025-20(36)/98**
**लखनऊ: दिनांक 24 जून, 2025**

**कार्यालय-ज्ञाप**

चीनी उद्योग अनुभाग-1, उ.प्र. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-912/46-1-2025-20(36)/98 दिनांक 09 जून, 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की प्रजातियों के बदलाव, संवर्द्धन, गन्ना उत्पादकता को बढ़ाये जाने के कार्यक्रम की योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में एक 30 सदस्यीय कोर ग्रुप का गठन किया गया है। उक्त गठित कोर ग्रुप के उद्देश्य, दायित्व, जिम्मेदारियां, कार्यक्षेत्र, बैठक आदि के संबंध में **Terms of Reference** निम्नवत् होंगी:-

**1. प्रस्तावना:**

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या 5139/सी.डी./46-98-20(36)/98 दिनांक 07.11.1998 के क्रम में चीनी उद्योग अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 912 / 46-1-2025-20 (36) / 98 दिनांक 09 जून, 2025 द्वारा उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र में गन्ने की प्रजातियों के बदलाव, संवर्धन, गन्ना उत्पादकता को बढ़ाया जाने के कार्यक्रम की योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में कोर ग्रुप का पुनर्गठन किया गया है।

**2. उद्देश्य (Objective) :**

गन्ना कृषकों की आय बढ़ाने, चीनी मिलों को उच्च रिकवरी युक्त गन्ने की आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा क्षेत्र में पुरानी, कम उत्पादकता एवं रोग-प्रभावित गन्ना प्रजातियों का प्रतिस्थापन कर नवीन उन्नत किस्मों के प्रचार-प्रसार हेतु कोर ग्रुप का गठन किया गया है। यह कोर ग्रुप गन्ना प्रजातियों के प्रतिस्थापन, गन्ना विकास कार्यक्रमों जैसे फसल सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य, यंत्रीकरण एवं उत्पादकता वृद्धि से संबंधित कार्यों का नीति निर्धारण, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु कार्य करेगी।

**3. कोर ग्रुप की संरचना / दायित्व (Compositionof the Core Group/ Responsibilities) कोर ग्रुप में कुल 30 सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:**

| पदनाम | संख्या | विवरण | दायित्व |
|---|---|---|---|
| अध्यक्ष | 1 | प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ. प्र. शासन | बैठक की अध्यक्षता एवं नीति निर्धारण |
| संयोजक / सदस्य | 1 | गन्ना आयुक्त, उत्तर प्रदेश | कोर ग्रुप द्वारा लिये गये निर्णय को सम्पूर्ण प्रदेश में लागू कराना, प्रदेश स्तरीय क्रियान्वयन योजना बनाना, |

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | प्रगति की मॉनिटरिंग एवं कोर ग्रुप को रिपोर्टिंग करना |
| सदस्य | 6 | गन्ना विकास विभाग, उ. प्र. के अन्य अधिकारी | नीति कार्यान्वयन में सहायता, समीक्षा रिपोर्ट तैयार कराना |
| अनुसंधान विशेषज्ञ (सदस्य) | 2 | निदेशक : भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर | नई गन्ना प्रजातियों की संस्तुति, अनुसंधान रिपोर्ट एवं गन्ना विकास से सम्बंधित वैज्ञानिक मार्गदर्शन |
| चीनी मिल प्रतिनिधि (सदस्य) | 9 | चीनी मिल के वरिष्ठ प्रबंधन मंडल के निदेशक एवं सदस्य | गन्ना बीज उत्पादन, फसल सुरक्षा एवं मृदा स्वास्थ्य हेतु किसानों को सहायता, जागरूकता एवं प्रजाति प्रतिस्थापन अभियान में सक्रिय भागीदारी |
| किसान प्रतिनिधि (सदस्य) | 11 | विभिन्न चीनी मिल क्षेत्रों के प्रगतिशील गन्ना कृषक | गन्ना प्रजाति बदलाव एवं कोर ग्रुप द्वारा सुझाये गए गन्ना विकास कार्यक्रमों के व्यावहारिक क्रियान्वयन पर फीडबैक एवं गन्ना कृषकों में जागरूकता |
| **योग** | **30** | | |

**4. कोर ग्रुप की प्रमुख जिम्मेदारियां :**

**(i) गन्ना किस्म प्रतिस्थापन (Varietal Replacement):**

- प्रदेश में बोई जा रही पुरानी एवं कम उत्पादकता तथा कम रिकवरी वाली गन्ना किस्मों का सर्वेक्षण एवं सूचीकरण।
- कृषकों, गन्ना समितियों एवं विभागीय अधिकारियों से परामर्श कर नई उच्च उत्पादकता,उच्च रिकवरी एवं रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन।
- चयनित किस्मों का बीज उत्पादन कार्यक्रम तैयार कर कृषकों तक पहुंचाना।
- चरणबद्ध तरीके से पुरानी किस्मों को हटाकर नवीन किस्मों का प्रतिस्थापन।
- बीज फार्म एवं प्रदर्शन प्लॉट विकसित करना।
- आधार,प्रारंभिक व प्रमाणित बीज उत्पादन की व्यापक योजना बनाना।
- चीनी मिलों के सहयोग से किसानों तक प्रमाणित बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- बीज उत्पादन प्रक्षेत्रों की स्थापना और बीज वितरण के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करना।

**(ii) उत्पादकता वृद्धि (Productivity Improvement):**

- गन्ना उत्पादकता में सुधार हेतु नवीनतम कृषि वैज्ञानिक संस्तुतियाँ लागू कराना।
- उच्च उपज देने वाली किस्मों की पहचान व प्रचार।
- रोग एवं कीट नियंत्रण हेतु फील्ड स्तर पर समेकित प्रबंधन प्रणाली लागू करना।
- प्रदर्शन प्लॉट की स्थापना कर कृषकों को व्यावहारिक प्रशिक्षण।
- मृदा विश्लेषण,रासायनिक उर्वरकों की संस्तुति एवं मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम लागू कराना।

**(iii) फसल सुरक्षा (Crop Protection):**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- **गन्ना फसल में लगने वाले हानिकारक कीटों एवं रोगों विशेषकर चोटी बेधक कीट, लाल सड़न रोग आदि के समेकित नियंत्रण / प्रबंधन हेतु कार्ययोजना तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।**
- **चोटी बेधक कीट के प्रभावी नियंत्रण एवं कृषकों की उत्पादन लागत को कम करते हुए यांत्रिक नियंत्रण (प्रभावित कल्लों की कटाई) को प्रमुखता से कार्ययोजना का अभिन्न अंग बनाना एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।**

**(iv) मृदा स्वास्थ्य (Soil Health)**

- मृदा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मृदा परीक्षण एवं इसकी मैपिंग, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को संतुलित करते हुए समेकित पोषक तत्व प्रबंधन (Integrated Nutrient Management) एवं जैव कीटनाशी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की कार्ययोजना तैयार करना।

**(v) यंत्रीकरण (Mechanization):**

- श्रमिकों की घटती हुई उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए, गन्ना फसल में बुवाई से लेकर कटाई तक यंत्रीकरण की कार्ययोजना तैयार करना एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना।
- यंत्रीकरणको प्रोत्साहन देने हेतु स्थानीय उद्यमता **(Entrepreneurship)** को बढ़ावा देना जिसमे बुवाई से लेकर कटाई तक सभी शस्य क्रियाओं हेतु आवश्यक यंत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

**(vi) पेड़ी प्रबंधन (Ratoon Management)**

- **गन्ना उत्पादकता में वृद्धि करने हेतु पेड़ी प्रबंधन के समग्र प्रचार प्रसार के लिए कार्ययोजना एवं एवं उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित** कराना।
- **पेड़ी प्रबंधन के** यंत्रीकरण **हेतु** Ratoon Management Device (RMD) **एवं ट्रेश मल्चर** (Trash Mulcher) **का प्रचार प्रसार करना।**

**(vii) नवाचार व अनुसंधान (New Initiative and Research):**

- भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ एवं गन्ना शोध परिषद, शाहजहाँपुर के साथ मिलकर गन्ने की नई किस्मों, जैव उर्वरक, रोग एवं कीट नियंत्रण तकनीकों पर अनुसंधान एवं क्रियान्वयन।
- गन्ना खेती में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के प्रयोग का अन्वेषण करना एवं इसे गन्ना खेती में अंगीकृत करना।
- नवीनतम कृषि यंत्रों, उन्नत सिंचाई तकनीकों व Precision Farming का प्रचार करना।

**(viii) गन्ना उत्पादन तकनीकों का प्रचार-प्रसार (Extension):**

- गन्ने की वैज्ञानिक खेती, मृदा परीक्षण, समेकित उर्वरक प्रबंधन, कीट-रोग नियंत्रण तथा सिंचाई प्रबंधन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देना।
- किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रदर्शन प्लाट की स्थापना।

**(ix) समन्वय, अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन (Co-ordination, Monitoring & Execution):**

- चीनी मिल प्रबंधन,सहकारी गन्ना विकास समितियों एवं विभागीय अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना।
- विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्षेत्रवार क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- प्रमाणित गन्ना बीज वितरण, गन्ना बुआई, सिंचाई, समेकित उर्वरक प्रबंधन एवं कटाई संबंधित कार्यों की सतत निगरानी।
- समय-समय पर क्षेत्रीय निरीक्षण कर प्रगति की समीक्षा।
- समस्याओं की पहचान कर समाधान हेतु नीति सुझाव।

**(x) विशेषाधिकार (Powers of Committee):**

- समिति को किसी भी क्षेत्र, प्रखण्ड, ग्राम अथवा मिल क्षेत्र में निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
- आवश्यकता अनुसार कृषकों, समितियों, अधिकारियों एवं चीनी मिल प्रबन्धन से जानकारी प्राप्त करने एवं सुझाव मांगने का अधिकार।
- विभागीय या बाह्य विशेषज्ञों से परामर्श करने एवं तकनीकी सहायता प्राप्त करने की स्वतंत्रता।

**5. बैठक (Meeting Mechanism)**

- प्रत्येक तीन माह में कोर ग्रुप की एक बैठक (मीटिंग) की जाएगी।
- बैठक में कोर ग्रुप के सभी सदस्य सम्मिलित होगें।
- अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यकता पड़ने पर किसी विशेष विषय पर चर्चा हेतु अतिरिक्त विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- बैठक में नीति, प्रगति, समस्याओं व सुझावों की समीक्षा की जाएगी।
- आवश्यकता अनुसार विशेष बैठक का आयोजन भी किया जा सकता है।

**6. रिपोर्टिंग व्यवस्था (Reporting Protocol)**

- प्रत्येक बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट तैयार कर सभी सदस्यों एवं संबंधित विभागों को प्रेषित की जाएगी।
- रिपोर्ट में प्रस्तावित योजनाओं की प्रगति, समस्याएं एवं सिफारिशें स्पष्ट रूप से अंकित होंगी। रिपोर्ट के आधार पर सुधारात्मक कदम उठाना सुनिश्चित किया जाएगा।

**नूतन अग्निहोत्री**
अनु सचिव।

**<u>संख्या एवं तद्दिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य चीनी निगम लि. लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. सहकारी चीनी मिल्स संघ लि. लखनऊ।
4. निदेशक, उ.प्र. गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर को इस आशय से प्रेषित कि गन्ना शोध परिषद के समस्त केन्द्र प्रभारी वैज्ञानिकों को भी अवगत करायें।
5. अध्यक्ष, उ.प्र. शुगर मिल एसोसिएशन, चिन्टल हाउस, स्टेशन रोड, लखनऊ।
6. कोर ग्रुप् के समस्त सदस्य ( द्वारा-आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.)।
7. निजी सचिव, मा. मंत्री, गन्ना विकास एवं चीनी मिलें, उ.प्र.।
8. प्रधान निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasan

9. निजी सचिव, विशेष सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र. शासन।

10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नूतन अग्निहोत्री
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।